न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 906/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर।		1 मगनाराम 2 रतनाराम 3 लुणाराम 4 चम्पालाल पिसरान गिरधारी जाति माली निवासी उतरलाई तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 26/01/20

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा उतरलाई तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 194/4 रकबा 40.07 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी में अंकित है। प्रार्थी उक्त भूमि का भूमिधारी है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त 40.07 बीघा भूमि में से 17.00 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शे में बरंग हरा दर्शाई गई है, जिसका उपयोग बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कृषि से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। उक्त 17.00 बीघा भूमि में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये होटल व व्यवसायिक कमरो का निर्माण कर कम्पनी को किराये पर दे रखा है, जो राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा उतरलाई तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 194/4 रकबा 40.07 बीघा भूमि में से रकबा 17.00 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया।

प्रार्थी की साक्ष्य में पटवारी हल्का कवास द्वारा उपस्थित होकर कथन किया कि मौजा उतरलाई के खसरा संख्या 194/4 कुल रकबा 40.07 बीघा में से 17.00 बीघा भूमि का भू–सपंरिवर्तन की कार्रवाई किये बिना अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। भूमि में मौके पर होटल व व्यवसायिक कमरो का निर्माण कर कम्पनी को किराये पर दे रखा है। अनेक प्रकार की मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है। भूमि के चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण किया जाकर गेट लगाकर रास्ता रखा गया है।

बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा उतरलाई तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 194/4 रकबा 40.07 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी में अंकित है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त 40.07 बीघा भूमि में से 17.00 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शे में बरंग हरा दर्शाई गई है, जिसका उपयोग बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कृषि से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कर होटल व व्यवसायिक कमरो का

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्माण कर कम्पनी को किराये पर दे रखा है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा उतरलाई तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 194/4 रकबा 40.07 बीघा भूमि में से रकबा 17.00 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कराने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पटवारी हल्का कवास द्वारा किये गये कथन से न्यायालय को इस बात की संतुष्टी है कि मौजा उतरलाई के खसरा संख्या 194/4 कुल रकबा 40.07 बीघा में से 17.00 बीघा भूमि का भू–सपंरिवर्तन की कार्रवाई किये बिना अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, जो विधि सम्मत नही है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत मौजा उतरलाई के खसरा संख्या 194/4 कुल रकबा 40.07 बीघा में से 17.00 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग हरा दर्शाई गई है, में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर राज्य सरकार में निहित की जाती है। तहसीलदार बाडमेर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई करें। संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (SDO),
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 05/01/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO),
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.02.13 17:22:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: